# In the Court of Addl. District & Sessions Judge-II, Rosera(Samastipur)

## T.A. No. 28/2009
## C.I.S. No.-16/2019

**07.11.2023** उभय पक्ष की ओर से हाजिरी दी गई। अभिलेख आज आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

वाद पुकारा गया, पुकार पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए। याचिका पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता दिनांक–02.09.2023 को आवेदन दाखिल कर निवेदन करते हैं कि इस वाद मामले में उत्तरवादी सं0–39, मो0 सुमित्रा देवी, पति–स्व0 भुनेश्वर महतो की मृत्यु, दिनांक–19.07.2023 को हो गई है, इस संदर्भ में उक्त आवेदन दाखिल किया गया है। इनके उत्तराधिकारी बरूण कुमार उर्फ बरूण कुमार महतो हैं। अतः इनके आवेदन को स्वीकार करते हुए, उत्तरवादी सं0–39 मो0 सुमित्रा देवी का नाम विलोपित कर, इनके उत्तराधिकारी बरूण कुमार उर्फ बरूण कुमार महतो को प्रतिस्थापित करने की याचना करते हैं।

उत्तरवादी पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित होकर याचिकाकर्ता की ओर से दाखिल आवेदन पर अनापत्ति करते हैं और उनके द्वारा किए गए निवेदन पर सहमति प्रदान करते हैं।

सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदन में अंकित उत्तरवादी सं0–39 मो0 सुमित्रा देवी की मृत्यु दिनांक–19.07.02023 को हो गई है, तथा उक्त आवेदन में उत्तरवादी के उत्तराधिकारी का नाम अंकित किया गया है, जिसपर उभय पक्ष सहमति प्रदान करते हैं। ऐसी स्थिति में दिनांक–02.09.2023 के आवेदन को स्वीकार किया जाता है और उत्तरवादी सं0–39 मो0 सुमित्रा देवी का नाम विलोपित कर उनके स्थान पर उनके उत्तराधिकारी बरूण कुमार उर्फ बरूण कुमार महतो को प्रतिस्थापित किया जाता है। कार्यालय लिपिक अपील वाद के उत्तरवादी कॉलम से उत्तरवादी सं0–39 मो0 सुमित्रा देवी का नाम विलोपित करते हुए, उनके स्थान पर उनके वैध उत्तराधिकारी बरूण कुमार उर्फ बरूण कुमार महतो का नाम उभय पक्षों के समक्ष ससमय प्रतिस्थापित करें।

दिनांक– 05.12.2023 वास्ते उपस्थिति प्रतिस्थापित उत्तरवादीगण।

**लेखापित**

**अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, द्वितीय।**